न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

अनवान- दलेल सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जटसिख निवासी 1 जेएसडी बनाम गुरजन्ट सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एलसी-ए वगैरा

प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 आरटीएक्ट मुकदमा नम्बर ..36../2019

तारीख हुक्म तारीख व तामिल जारी करने की	कार्यवाही मय इनिशियल जज	हुक्म
10/06/2019	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये वकील अ0धा0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि चक 1 जेएसडी का मु0न0 28 प0न0 137/355 का किला नम्बर 2 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 23, 24 कुल 14 बीघा खातेदारी रकबा मे किसी प्रकार की दखलदांजी करने, करवाने तथा कब्जा करने से बाज व ममनु रहे तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखे। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थी के शपथपत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निशेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे विवादित भूमि चक 1 जेएसडी का मु0न0 28 प0न0 137/355 का किला नम्बर 2 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 23, 24 कुल 14 बीघा रकबा की आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। सम्बन्धित को तहरीर/सूचना जारी हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 15.07.2019 को पेश हो। Priyanka उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर।	नोटिस जारी
15/7/19	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त हो चुके है जो पत्रावली के संलग्न है। पत्रावली बाद जवाब अप्रार्थीगण के दि0 25/7/2019 को पेश हो। Priyanka	

Scanned by CamScanner

25/7/19 पत्रावली पेश। बार संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा है पत्रावली दिनांक 31/7/2019 को पेश हो

31/7/2019 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। ना ही प्रार्थी स्वयं उपस्थित। बार-2, एक-2, आवाजें लगाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं आया। अतः पत्रावली अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Scanned by CamScanner